

उत्तर प्रदेश शासन
चीनी उद्योग रघु गन्ना विकास उम्माग-२
मंहथा-१७१ झज्जरकोट/१८-२-सि/६४
तबनऊः टिनांग : २४ फरवरी, १९५५

राष्ट्रीय-भाषा

उत्तर प्रदेश लकड़ारी नियमावली, 1968 के नियम 389-६

के साथ पठित उत्तर पुटेश सहा की अधिकृत अधिनियम, 1965 उत्तर पुटेश अधिनियम तंत्र- 11 त्र. 1966। रो पारा-122 की उप-पारा 111 के अधीन गवित रा प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल श्वोटप दकारा चारी अधिनियमा तंत्र- पुटों 402 111/12सी-1-76, दिनांक 6-8-1977

दधारा जापुवत् स्वं सप्तग्रिहं चीनीं उत्पोग् स्वं गन्ना पिकान पिभाग को
उत्तर पुटेश बहुकारी चीनी मिलों तथा तहल्कारी चीनी किं तं प्रैस्टिये
प्रापिकारी तं प्रतिवादित्याद्याप्ता है तथा तहल्कारी चीनी मिलों और चीनी
मिल तं प्रैस्टिये रुप्रयादित्यों की भर्ती, प्रगिधन, प्रशान्तिक-नियंत्रण अंडीस्ट्र
प्रदान किया गया है। इसी इस ऐ पुनः उत्तर पुटेश तहल्कारी

जनुमार्ग। द्वारा निर्गत अपिकृपना नं. पा-४७५/१२८ी-१-८७-७११३१-७६
एगोटो, दिनांक ३१-३-१९८७ द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी कीटो-फिलो
तपा १००००० जापरेटिव गुणर फेड्रीच फेड्रेशन एसो तस्वरु ने इवारियों की
मरी, उपलब्धियों और लेख के जुरूरियों और ग्रामों जिनके जन्तर्गत जनशासनिक
नियंत्रण भी है, के तम्बूं और विनियम बनाने के अधिकार दिये गये हैं।

उपरोक्त मुद्रत अधिकारों के उन्नतीय लकड़ारी गीनी शिलों तथा पू. पी० कोआपरेटिव शुगर फैब्रीज़ फेडरेशन ति० ललनऊ के रम्पारियों की, भी तथा नेपा नश्वर्धी काम्यों के नियिता पू०पी० कोआपरेटिव शुगर फैब्रीज़ फेडरेशन ति० रम्पारियों तथा इत्था ति० रम्पारियों तेवा जियाकली, 1988 का निर्णय निया गया है तथा इत्था प्रकाश दायरी पर ग्रट में टिनां० ६-१-१९८९ को दिया गया है।

ज्ञानिसंघ अधिकारी का नाम- श्री देवनन्द सरावन चौकी- उदयोग- उन्माग- ? तो इसका अधिकारी

उटेंग तरकार पानी उटपोंग उम्भाग-2 देखारा निम्न उपिलूचना तेंप,
२३०सी०/१५-२-७१-८८, दिनांक १-७-९२ देखारा निम्न लंगोपन हुये

उटेंग नविं फेडरेशन, १९८३ के साथ एकल दिवाली तंगोपन १९९२
में १२-१११ के अन्तर्गत निम्न लंगोपन हुये

१२-१११ तेंप है अपीन अमृत '०', '०' और '०' के पटों पर निपुणितया
निम्न पुकार तें दी जाएँगी -

१०। तोपी भेलों देखारा, या

११। विभागीय गारीधा या माधाकार है माटक, तें या
ऐलीअन्य रौति तें चिलों प्रबन्ध निटेंग, तम्हा-तम्हा पर
जापारित रौ, इंगारियों में तें पटों-तरी देखारा,

१२। प्रतिनिष्ठित या तंत्रित के आपार पर लेवाणोचन देखारा,

१३। किसी जन्य छोड़ा तें चिलों प्रापिलाली उम्भोदित रौ,

१४। विश्विक शाखियानों है अन्तर्गत निम्न आटेंग पातित हुये जाते

१५। लहरारी चीनी किनों तथा २०५०० रुपरेटिंग गुगर फेड्रोज
फेडरेशन लिं० लखनऊ में युधान प्रबन्धों के पटों पर तैनातों निम्न
छोड़ों तें की जाएँ :

(क) संघी भर्ती देखारा,

१६। २०५०० गुगर फेड्रोज फेडरेशन के रूपियों देखारा।

१७। प्रतिनिष्ठित देखारा। प्रतिनिष्ठित पर तैनाती है ३०७०
तिविल तवितेज। प्रशालनीय गांधा।, वी.सी.एस.तंवर
के अधिकारी, गन्ना विकास विभाग तथा राज्य तरकार के
अन्य विभागों तें नों अनुभव और योग्यता के आपार पर
प्रतिनिष्ठित पर तैनात रुपा जाएँ।

१८। इति निपुणि पर तैनात अधिकारी तो धर्मान लंगोपन खावत
रुपा जाएँ।

१९। लोहताधरी को यह अधिकार होगा कि वह तम्हा-तम्हा पर
तारामला रो टेको हर तमीचा रुतें के परांग पौ०सी०८८८

मुक्ति लहरारी चीनी किनों तथा उनको शीर्षत्प तंत्रित प्रापी०
प्रापरेटिंग गुगर फेड्रोज फेडरेशन में राज्य तरकार तो बहुत

क्रपिक पूंजी विनियोजित हैं जतः राज्य तत्काल के दिनों नी रक्खा ऐ तथा व्यापक जनहित/लोकहित में यह ग्रामेज घासी नि किए जाते हैं।

डी०ल०मित्ताल,
पुरुष तंचित, चीनी उद्योग एवं
गैंना विभाग विभाग/प्रापिकारी
सहकारी चीनी मिले एवं तंद्रा।

संखा- ५७५ (१) दृमाना / १८ अप्रैल तदटिकारा।

उपरोक्त नी प्रतिनिधि निम्नलिखि को तुगनार्थ एवं
आवश्यक लायनारी हेतु प्रेषित :-

- ✓ 1- प्रबन्ध निदेश, ३०५० सहकारी चीनी मिल संघ, लखनऊ।
- 2- नियित, नियुक्ति विभाग, ३०५० सहकारी गैंना विभाग/विभाग/प्रापिकारी सहकारी चीनी मिले एवं तंद्रा।
- 3- नमस्त तहकारी चीनी मिलों के उपान प्रबन्धक।
- 4- गैंना जायुक्त/विभाग, सहकारी चीनी मिले, ३०५०, लखनऊ।

जाइना है,

डी०ल०मित्ताल,
पुरुष तंचित, चीनी उद्योग एवं
गैंना विभाग विभाग/प्रापिकारी,
सहकारी चीनी मिले एवं तंद्रा।

उत्तर प्रदेश सरकार
चीनी उषोग अनुभाग-2

संउपा - रत्नी/१८-२-९५, ७।/८९

ਲਖਨਤੁ : ਦਿਨੌਰਕ 31. ਜੁਲਾਈ, 95

आधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण रण्ड अधिनियम, 1904 | उत्तर प्रदेश अधिनियम

संख्या । सन् 1904 । की पारा 21 के तात्पर गठित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 । उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ।। सन् 1966 । की पारा 122 की उपपारा ।।। के अधीन इकाई का प्रयोग करके उक्त पारा 122 वो उपपारा ।।। के अधीन अधिकृतना संख्या पु.ओ. 40212/12-ती-1-76, टिनांक 6 अगस्त, 1977 में गठित प्राधिकारी सतटदारा राज्य सरकार के जरुरोदन ते उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड कर्मचारी सेवा नियमावलो, 1988 में संशोधन करने की दृष्टित से निम्नलिखित विविधमात्रकी बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड बंधारी तेवा
। त्रितीय तंडोपन। विनियमावली, 1995.

1-111 यह विनियमावली उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी के संघ नियमित्ते कर्मचारी तेवा वृत्तीय संशोधन। विनियमाकली, 1995 कहो जाएगी।

121 यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रष्टुत होगी।

2- उत्तर प्रदेश सहकारी धीनी मिल संघ लिमिटेड स्वाहारी लेवा विनियमाबली, 1988 में, जैसे जागि उक्त विनियमाबली कहा गया है, नीचे तामा-1 में दिये गए विनियम 11, 12, और 13 के स्थान पर, तामा-2 में दिये गए विनियम रख दिये जायें, अर्थात् :-

ताम्ब - १

पर्तमान विनियम

इत संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अपीन पटों का सूजन करने की शक्ति प्राप्तिकारी में दिवित होने। प्रतिकारी तम्प-तम्प पर तंप की तेवा में प्रत्येक तम्बू के पटों को तंया अवपारित करेगा।

ताम्भ-२

स्तटदारा प्रतिस्थापित विनियम

इस तंत्र्य में राज्य सहार द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अधीन पटों का हृजन और पटों के बेतनमान के निर्धारण की शक्ति प्राप्तिकारी में नहिं होगी। प्राप्तिकारी तम्य-सम्म पर तंत्र को तेवा में प्रत्येक तम्भ के पटों को तंत्रिष्ठा अनुद्धारित करेंगी।

दर्तमान दिनियम

- 11। तंय के अधीन तमूह "क", "ख"
और "ग" के पटों पर निषुक्तियाँ
निम्न प्रकार हैं जो चाहेंगी -
 ।।। तोधी भर्ती दारा; पा
 ।।। विभागीय परीक्षा या
ताखातकार के माध्यम से पा
ऐती झन्य तीति है जिसे
प्रबन्ध निदेशक तमद-तमद पर
जन्मपात्रित करें, कर्मचारियों में
से पटोन्तति दारा;
 ।।। प्रतिनिषुक्ति या तंविदा
के आधार पर लेवायोजन
दारा;
 ।।। किंती झन्य ब्रोत ते जिसे
प्रापिकारी झुमोटित करें।
- 12। तमूह "क" के तीधी
भर्ती दारा भरे जाएंगे।
- 11। तंय के अधीन पटों पर निषुक्ति
हेठु झन्यपर्धियों नी भर्ती के लिए
एक चयन तमिति होगी।

- 12। तमूह "क", "ख" और "ग" के
पटों पर झन्यपर्धियों के चयन
के लिये तमिति में निम्न-
लिखित तदत्य होंगे -
 ।।। प्रबन्ध निदेशक - झन्य
 ।।। प्रापिकारी दारा - तदत्य
चिन्हक

सत्तदारा प्रतित्पापित विनिष्पन्

- 11। तंय के अधीन तमूह "क", "ख" और "ग"
के पटों पर निषुक्तियाँ निम्नप्रकार हैं
जो चाहेंगी :-
 ।।। तीधी भर्ती दारा; पा
 ।।। विभागीय परीक्षा या ताखातकार के
माध्यम से पा ऐती झन्य तीति है
जिसे प्रापिकारी दारा तमद-तमद पर
जन्मपात्रित किया जाय, कर्मचारियों में
से पटोन्तति दारा; पा
 ।।। प्रतिनिषुक्ति या तंविदा के आधार
पर लेवायोजन दारा;
- 12। तमत्ता तमूह "प" के पटों पर निषुक्ति
तीधी भर्ती दारा की जाएगी।

- 11। तंय के अधीन विभिन्न तमूहों के पटों
पर निषुक्ति के लिए झन्यपर्धियों के
चयन के लिये पृष्ठा-पृष्ठक चयन तमितियों
होंगी।

- 12। तमूह "क" के पटों के लिये चयन तमिति
में निम्नलिखित होंगे :-
 ।।। शातन के तथिव, यीनी उटोग एवं
गन्ना विकास-विभाग - झन्य
 ।।। प्रबन्ध निदेशक - सदत्य
 ।।। शातन के तथिव, तार्वजनिन उभ
विभाग दारा नाम निर्दिष्ट एक
झुमोटित जो तंयुक्त तथिव से निम्न-
लिखी का न हो - सदत्य
 ।।। प्रापिकारी दारा नाम निर्दिष्ट
टो ते झन्यपिक व्यक्ति जो उस विषय
है, जिसके सम्बन्ध में चयन किया जाना
हो, विवेषज्ञ हो - सदत्य

॥५॥ यटि रण्डाटा हे ॥६॥ मैं निर्दिष्ट
ब्यक्ति झुरूपित चातौ/झुरूपित जनजाति
या पिछड़े कर्म के न हों तो प्रापिकारी
दारा उक्त प्रत्येक चातौ/जनजाति या कर्म
का, जिनका प्रत्यक्षित्व प्रतिनिपित्प न
हो, ऐसे अपिकारियों ने ते, जो कम ते
कम उस पट ते, जिन्हे तिर घयन समिति
का गठन किया जाना हो, एक वेतनमान
उच्च के हों, एव-रह उपिलारी नाम
निर्दिष्ट किया जाना ।

परन्तु यह ही यटि नाम
निर्देशन के लिये पात्र अपिकारी उपत्यक्य
न हों तो प्रापिकारों जिसी ऐसे उपयुक्त
अपिकारी हो किसे दृढ़ उचित समझें,
नाम निर्दिष्ट छर हजार है ।

॥७॥ तमूह 'प' के पटों के लिए
अध्यार्थियों का घयन ऐसे
अपिकारी दारा किया
जायेगा जिसे प्रबन्धनिरेक
दारा प्रापितृत किया जाया

॥८॥ तमूह 'र' के पटों के लिए घयन
समिति मैं निर्दिष्ट होगी :-
॥९॥ प्रबन्ध निरेक - उपत्यक्य
॥१०॥ प्रापिकारी दारा नाम निर्दिष्ट
संघ का संयुक्त प्रबन्ध निरेक -
-- सदस्य

॥१॥ प्रापिकारी दारा नाम निर्दिष्ट
हो ते उनपिक द्वारा जो उत्त
विषय के विशेषज्ञ हों जिनके संबंध
में घयन किया जाना है - सदस्य

॥१॥ यटि रण्ड ॥१॥ हे ॥१॥ मैं निर्दिष्ट
ब्यक्ति झुरूपित चातौ/झुरूपित
जनजाति या पिछड़े कर्म के न हों
तो प्रापिकारों द्वारा उक्त प्रत्येक
चातौ/जनजाति एव कर्म का,
जिसका प्रतिनिधित्व न हो, ऐसे
अपिकारियों ने ते, जो कम ते कम
उस पट ते, जिन्हें ज्ञाये घयन समिति
का गठन किया जाना हो, कम ते
कम एव उच्चतर देन्मान का हो,
नाम निर्दिष्ट किया जायेगा ।

14। समूह "ग" के पटों के लिए उपन तमिति में निम्नलिखित होंगी :-

।।। संप रा संयुक्त प्रबन्ध निटेक - अपव्य

।।। प्रबन्ध निटेक द्वारा नाम निर्दिष्ट समूह "ग" या उससे उच्च उपन के टो

अपिकारी - सदस्य

।।। पटि छड़ा॥।।। जार ।।। में निर्दिष्ट

उपकित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-

जाति या पिछे वर्ण के न हों तो

प्रापिकारी द्वारा उक्त प्रत्येक जाति /

जनजाति या वर्ण का, जितका प्रतिनिधि-

त्व न हो, ऐसे अपिकारियों में हो जो

कम हो उस पटि ने, जिसके लिये उपन

तमिति का गठन किया जाना, एक वेतन

मान से कम हो कम एवं उच्चतर वेतनमान,

के हों, नाम निर्दिष्ट छिपे जायें।

उक्त विनियमावली में, विनियम 19 में, उप विनियम 15। के पश्चात, निम्नलिखित उपविनियम घडा दिया जायगा, अर्थात् :-

16। समूह "क" और समूह "उ" के पद पारक रूपिकारियों को लेवार्पे तामाज्ञ करने के लिए प्रापिकारी द्वा पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जायगा।

उक्त विनियमावली में, विनियम 21 में, नीचे ताम्भ । में टिपे गए उप विनियम 12। के स्थान पर ताम्भ-2 में दिया गया उपविनियम तथा दिया जायगा, अर्थात् :-

ताम्भ-1
विष्मान उपविनियम

।।। कर्मिकारी 60 वर्ष की आयु, प्राप्त कर तेन पर लेवा-

निष्ठांत होगा :

परन्तु किसी क्लैण्डर माह के प्रथम दिनांक के भिन्न किसी दिनांक को अधिवर्धिता की आयु प्राप्त करने पर कर्मिकारी उस माह के अंतिम दिन को लेवा निष्ठांत होगा।

ताम्भ-2
स्टाफद्वारा प्रतिस्थापित उपविनियम

१२। यदि तंत्र के हित में रेता करना उचित हो तो ६० वर्ष की उम्र के पश्चात जिसी शर्हिकारी को नियम अपापि के लिये संविदा पर लेपापोक्ति लिया जाय तो रेता करने की प्रश्ना निवेश की जिसी बात है कि इस विनियम की किसी बात तो प्रभावित हुई नहीं राखी जाएगी ।

विनियम ३४
का संशोधन

स्थानान्तरण

जन्मती वा
संशोधन

५- उत्ता विनियमाकाली में, विनियम ३४ में, नीचे लाभ-१ में दिये गये उप विनियम १४ विनियम ॥ १ के स्थान पर, लाभ-२ में दिया गया उप विनियम रब दिया जाएगा, अर्थात् :-

लाभ-१

विष्णान उपाधिनियम

॥ १। निषुक्ति प्रापिकारी को उपर्युक्त में किसी तहकारी धीनी मिल, आत्मनी, इकाई पा तंत्र के नियंत्रणापीन किसी उन्ध उपिष्ठान में पा भारत के किसी उन्ध त्यान में कर्मयात्रियों की निषुक्तियाँ करने और उन्हें किसी रक्त तहकारी धीनी मिल, आत्मनी, इकाई पा उपिष्ठान से दूसरे में स्थानान्तरित करने की भी उक्ति होगी ।

लाभ-२

स्टार्टारा प्रतित्यापित उपविनियम

॥ १। प्रापिकारी पा निषुक्ति प्रापिकारी को किसी तहकारी धीनी मिल, आत्मनी, इकाई पा तंत्र के नियंत्रणापीन किसी उन्ध उपिष्ठान में शर्हिकारियों की तैनाती करने और उन्हें किसी रक्त तहकारी धीनी मिल, आत्मनी, इकाई पा उपिष्ठान से दूसरे में स्थानान्तरित करने की उक्ति होगी, किन्तु लाल्हार महाप्रबन्धक, आत्मनी, प्रबन्धक, मुख्य अभियन्ता, मुख्य रक्तायनक, मुख्यफलेवाका मुख्य गन्ना विकास उपिकारी और समान पट धारण करने वाले उन्ध लाल्हा रात्रियों वा स्थानान्तरण प्रापिकारी के अनुमोदन के उपर्युक्त होगा ।

६- उक्त विनियमाकाली में, नीचे लाभ-१ में दी गयी विष्णान जन्मती के स्थान पर लाभ-२ में दी गयी जन्मती रब दी जाएगी, अर्थात् :-

लाभ-१

विष्णान जन्मती

जन्मती। विनियम ३ टेंडिपे। तंत्र के ज्ञानीन पटों का कारीकरण सूक्ष्म-उत्तर वेतनमान वाले पट जिनका न्यूनतम १००० स्पेयर उपनती वित्त। प्रतिमात्र हो ।

लाभ-२

स्टार्टारा प्रतित्यापित जन्मती

जन्मती। विनियम ३ टेंडिपे। तंत्र के ज्ञानीन पटों का वर्गीकरण सूक्ष्म-उत्तर वेतनमान वाले पट जिनका न्यूनतम ३००० स्पेयर प्रतिमात्र हो ।

तमूह-ब--उस वेतनमान वाले पट
जिनका न्यूनतम 500 स्पष्ट प्रतिमात्र
या अधिक हो किन्तु 1000 स्पष्ट
प्रतिमात्र से रुप हो। अपुनरीक्षित॥

तमूह-ग--उस वेतनमान वाले पट विकल्प
जिसका न्यूनतम 350 स्पष्ट प्रतिमात्र
या अधिक हो किन्तु 500 स्पष्ट प्रति
मात्र से रुप हो। अपुनरीक्षित॥

तमूह-घ--उपर्युक्त कार्यकरणों में से
किती के उत्तरांगत न जाने वाले पट।

तमूह-ब--उस वेतनमान वाले पट जिनका
न्यूनतम 2200 स्पष्ट प्रतिमात्र या अधिक
हो किन्तु 3000 स्पष्ट प्रतिमात्र से रुप हो।

तमूह-ग--उस वेतनमान वाले पट जिनका
न्यूनतम 950 स्पष्ट प्रतिमात्र या अधिक हो
किन्तु 2200 स्पष्ट प्रतिमात्र से रुप हो।

तमूह-घ--ऐसे पट जो उपर्युक्त कार्यकरण में
से किती के उपरीन न जाते हों।

आज्ञा से,

। इम्बुनाथ ।
प्राधिकारी,
उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड,
लखनऊ ।

संख्या- ॥ १५८३१/१७-२-७१/८९ त्रुटीटिनिंक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित वो सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निबन्धकागाना जापुका।, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल समितियाँ, लखनऊ।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड, ९-ए, राना प्रताप मार्ग, लखनऊ।
- 3- तंयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रानाम, ऐश्वराग, लखनऊ को झीझी स्थान्तर की एक प्रति के साथ इस अनुरोध सहित प्रेषित कि वे कृपया इसे दिनांक ३१-१-१९९५ के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिविष्ट के भाग-४, रण्डाक। में अवश्य प्रकाशित करें और गजट के ४०० प्रतियाँ चीनी उपयोग अनुभाग-२, उत्तर प्रदेश झातन, लखनऊ को झीझी उपलब्ध करायें।

आज्ञा से,

। इम्बुनाथ ।
प्राधिकारी,
उ० प्र० सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड,
लखनऊ ।